न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—228/2019/225 आर.टी.एक्ट (2019/00228)

1. सुरेश कुमार दत्तक पुत्र रामचन्द्र, जाति खाती, निवासी—ग्राम पाटन, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।
2. बालाक्ष पुत्र श्री भंवरलाल, जाति खाती, निवासी—ग्राम पाटन तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।
3. प्रेम बेवा स्व0 श्री मोहन, जाति खाती, निवासी—ग्राम पाटन, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।
4. बंसुरी पुत्र स्व0 श्री मोहन, जाति खाती निवासी—ग्राम पाटन तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. विमला बेवा स्व0 श्री रामचन्द्र जाति खाती निवासी पुत्र श्री महेश पुत्र श्री नोरतमल, जाति ब्राहमण, सदर बाजार, मौचियों का मंदिर के पास, पुराना शहर, किशनगढ, जिला अजमेर।
2. भैरू पुत्र रामा, जाति बलाई निवासी चुरली तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।
3. रतनलाल पुत्र श्री राधाकिशन, जाति खटीक, निवासी—ग्राम पाटन तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार किशनगढ, जिला अजमेर।
5. रमेश रील पुत्र श्री रामा रील, जाति हरिजन, निवासी—ग्राम डींडवाडा, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट

6. चांद पुत्र स्व0 श्री मोहन, जाति खाती, निवासी—ग्राम पाटन, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 17.06.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 06/2015

उपस्थितः—

1. श्री सुण्डाराम जाट अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री संदीप जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01
3. श्री इन्द्रेश रामचंदानी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 05
4. श्री विकास पराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 04
5. रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—17.03.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 06/2015 में पारित आदेश दिनांक 17.06.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के उक्त प्रकरण को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। इसके पश्चात् अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित होकर उनके अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त कथनों का खण्डन करते हुए अस्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन रहने के दौरान अप्रार्थी संख्या 6 को प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से भी उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थीगण के समस्त कथनों का खण्डन करते हुए अस्वीकार किया गया है। प्रकरण के विचाराधीन रहने के दौरान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार किशनगढ़ से मौका रिपोर्ट तलब करवायी गयी तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा उक्त रास्ते के संबंध में दिनांक 25.10.2018 को प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण विचाराधीन रहने के दौरान प्रार्थीगण की ओर से दिनांक 12.06.2019 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी स्टेज पर नहीं किया जाकर अंतिम निर्णय/आदेश के साथ ही उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया। उक्त प्रकरण के अंतर्गत पक्षकारों की बहस सुनकर प्रार्थीगण का मूल प्रार्थना पत्र का निस्तारण दिनांक 17.6.2019 को किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 06/2015 में पारित आदेश दिनांक 17.06.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा की गई बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर कथन किया कि अपीलांट के पास उक्त प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में अंकित कम संख्या 1 से 7 तक के दस्तावेज है उक्त दस्तावेज अपीलांट से कही रखाव में आ गये थे जो काफी ढूढनें पर भी नही मिले थे। उक्त दस्तावेज अभी कुछ समय पहले ही घर का रंग रोशन एवं साफ सफाई करते समय कुछ दस्तावेजों के साथ रखे हुये प्राप्त हो गये उक्त दस्तावेज अपील के न्यायिक निस्तारण में काफी अधिक सहयोग प्रदान करेगें तथा उक्त दस्तावेज अपील से संबंधित सुसंगत दस्तावेज भी है तथा उक्त प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में अंकित कम संख्या 8 से 11 अभी कुछ समय पहले ही पटवारी हल्का से प्राप्त किये गये है। उक्त समस्त दस्तावेजों को अपीलांट अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अपील में वास्तविक तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रखना चाहते है

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

जिससे की न्यायिक निस्तारण में सुगमता हो सके। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत करने वाले दस्तावेज निम्न प्रकार है–

1. अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2068–2071 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी खाता संख्या नया 166 पुराना 137 की प्रमाणित प्रति। 2. अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2068–2071 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी खाता संख्या नया 25 पुराना 56 की प्रमाणित प्रति। 3. अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2068–2071 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी खाता संख्या नया 217 पुराना 193 की प्रमाणित प्रति। 4. अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2068–2071 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी खाता संख्या नया 260 पुराना 399 की प्रमाणित प्रति। 5. अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2068–2071 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी खाता संख्या नया 189 पुराना 159 की प्रमाणित प्रति। 6. अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2068–2071 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी खाता संख्या नया 1 पुराना 0 की प्रमाणित प्रति। 7. अपीलांट के खेत के आस पास चारों तरफ का राजस्व नक्शा ट्रेस की फोटोप्रति। 8. अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2068–2071 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी खाता संख्या नया 189 पुराना 159 की प्रमाणित प्रति। 9. अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2068–2071 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी खाता संख्या नया 267 पुराना 201 की प्रमाणित प्रति। 10. खसरा नक्शा एवं जमाबंदी की प्रमाणित प्रति। 11. अपीलांट के खेत खसरा संख्या 357 के आस पास के खसरा नम्बरों का राजस्व नक्शे की फोटोप्रति की प्रमाणित प्रति। अतः न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाकर बतौर साक्ष्य शुमार फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर जवाब/बहस में कथन किया कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात किसी भी रूप में न्यायिक दस्तावेज नहीं होने से प्रकरण को लंबित करने के उद्देश्य से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की जा रही है। प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण में निर्णय हेतु किसी प्रकार सारवान है, स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज किसी भी रूप से लोक दस्तावेज नहीं है जिनकी सत्यता स्वयं प्रार्थी द्वारा साबित की जानी है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी सुसंगत दस्तावेज नहीं होने से निरस्त फरमाए जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि दस्तावेज विवादित भूमि से संबंधित है, न्याय निर्णय में सहायक होगी इस कारण न्यायहित में *अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जाता है।*

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 357 क्षेत्रफल 19–12–00 बीघा किस्म बारानी दौयम ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 की उक्त आराजी से सटाकर उत्तर दिशा में पूर्वी दिशा से पश्चिम दिशा में लम्बी पट्टी के रूप में खसरा संख्या 354 की भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 357 पर आने जाने हेतु मौके पर वर्तमान में खसरा संख्या 354/2 में से नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में मौके पर मौजूद 20 फीट चौड़ा रास्ता मौके पर बना हुआ है। जो रास्ता मौके पर भी मौजूद है। उसी रास्ते से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 अपनी उक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 357 में कृषि कार्य हेतु कृषि उपज, चारा, खाद, टैक्टर–ट्रोली, बेलगाड़ी, जानवर आदि लाते ले जाते है तथा अपने उक्त खेत की बुआई जुताई हेतु हल लेकर भी टैक्टर आदि से इसी रास्ते से आते जाते है। उक्त रास्ता मौके पर मौजूद है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक एवं निकटतम रास्ता भी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के खेत पर आने जाने के लिए उपलब्ध नहीं है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 पूर्वजों के समय से ही आज तक निरन्तर व लगातार उपयोग में लेते आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के उक्त प्रकरण को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। इसके पश्चात् अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित होकर उनके अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त कथनों का खण्डन करते हुए अस्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन रहने के दौरान अप्रार्थी संख्या 5 को प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से भी उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थीगण के समस्त कथनों का खण्डन करते हुए अस्वीकार किया गया है। प्रकरण के विचाराधीन रहने के दौरान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार किशनगढ़ से मौका रिपोर्ट तलब करवायी गयी तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा उक्त रास्ते के संबंध में दिनांक 25.10.2018 को प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में मौके पर जाये बिना कार्यालय में ही बैठकर मौका रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। उक्त मौका रिपोर्ट निम्न प्रकार है–तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा प्रस्तुत तथाकथित मौका रिपोर्ट दिनांक 25.10.2018 इस प्रकार है कि "आज दिनांक 25.10.2018 को न्यायालय प्रार्थना पत्र 5/2015 की पालना में ग्राम पाटन के ख.न. 357 पर रास्ते चाहने बावत् मौका जांच की गयी। राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी अनुसार ख.न. 357 रकबा 19–12 बारा. दोयम विमला पत्नि रामचन्द्र व सुरेश दत्तक पुत्र रामचन्द्र हि0 1/3 बालाबक्ष मोहन पि0 भंवरलाल हि0-1/3 कौम खाती खातेदार दर्ज है। राजस्व रिकोर्ड अनुसार उक्त ख.न. के आने जाने हेतु रास्ता अंकित नहीं है। मौका व राजस्व रिकोर्ड अनुसार एन.एच.8 से ख.न. 350/5 रकबा 0.06 ख.न. 361/3 रकबा 0.02 ख.न. 361/4 रकबा 0.02 ख.न. 367/3 रकबा 0.06 362/1 रकबा 0.07 363/1 रकबा 0.03 समर्पित रास्ता अंकित है जो ख.न. 363 तक के अन्दर तक हैं, ख.न. 363 के दक्षिण दिशा की तरफ ख. न. 357 की सीमा लगती हुई है। सम्पति रास्ते से ख.न.357 तक पहुंच हेतु कुल 74 गट्टा लम्बा रास्ता ख.न. 357 की सीमा तक बनता हैं जिसकी जमाबंदी व नक्शे की नकल संलगन है। वादी द्वारा दावा

Scanned with CamScanner

में अंकित रास्ता जो चाहा गया है। उसके एन.एच.8 से जो खसरा अंकित है उसके राजस्व मानचित्र में ख. न. अंकित नहीं है तथा उसके पश्चात् ख.न. 354/1 सरकारी ख. न. दर्ज है। जो ख.न. 351/1, 352, 353, 354/2 की पश्चिमी सीमा के सहारे–2 है जिसमें ख.न. 357 तक पहुंच में ख.न. 354/2 खातेदारी में से पहुंच होती है जिसकी एन.एच.8 से कुल ल. 208 गट्टा होती है। जिसकी नक्शा नकल संलग्न है।" तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा प्रस्तुत उक्त तथाकथित मौका रिपोर्ट दिनांक 25.10.2018 का अवलोकन करने से स्पष्ट प्रतित हो जाता है कि प्रार्थीगण को सूचित किये बिना प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में तथा अप्रार्थीगण से मिलीभगत कर मौके पर जाये बिना ही केवल मात्र कार्यालय में बैठकर ही तैयार की गयी है। उक्त मौका रिपोर्ट मौके की वास्तविक परिस्थितियों के विपरित अप्रार्थीगण को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अप्रार्थीगण से मिलीभगत कर तथा प्रार्थीगण को चाहे गये उक्त रास्ते से वंचित करने के उद्देश्य से तैयार की गयी है। उक्त तथा कथाकथित मौका रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि वादी द्वारा दावा में अंकित रास्ता जो चाहा गया है। उसके एन. एच.8 से जो खसरा अंकित है उसके राजस्व मानचित्र में ख.न. अंकित नहीं है। यहां पर यह निवेदन करना आवश्यक है कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दौराने अपील अपीलांट ने दिनांक 16.10.2024 को फर्द दस्तावेज के साथ जो दस्तावेज जमाबन्दी एवं राजस्व नक्शा की फोटोप्रति प्रस्तुत किया है जिनका अवलोकन करने पर स्वतः स्पष्ट है कि एन.एच. 8 से जो सरकारी पट्टी दर्शायी है उसके खसरा नम्बर 1068/354 क्षेत्रफल 0.5118 हैक्टेयर गै०मु०रास्ता राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित समस्त तथ्यों को नजर अंदाज कर मौका रिपोर्ट मनमाने ढंग से तैयार कर न्यायालय को गुमराह करने की नियत से प्रस्तुत की गयी है। इतना ही नहीं यहां पर यह भी निवेदन करना आक्श्यक है कि उक्त तथाकथित मौका रिपोर्ट दिनांक 25.10.2018 में जानबूझकर एन.एच.8 से खसरा नम्बर 354/2 में से खसरा नम्बर 357 तक दूरी कुल 208 गट्टा दर्शायी गयी है। जबकि वास्तविक रूप से सरकारी पट्टी खसरा नम्बर 1068/354 क्षेत्रफल 0.5118 हैक्टेयर गै० मु० रास्ता के अवलोकन करने पर स्पष्ट जाहिर हो जाता है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 357 तक पहुंच हेतु 1068/354 क्षेत्रफल 0.5118 हैक्टेयर गै० मु०रास्ता से मात्र 30–40 गट्टे से ज्याद दूरी नहीं है। उक्त वर्णित समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपीलांट द्वारा दिनांक 16.10.2024 को फर्द दस्तावेज के साथ प्रस्तुत दस्तावेज खसरा नम्बर 1068/354 क्षेत्रफल 0.5118 हैक्टेयर गै० मु० रास्ता की जमाबन्दी एवं राजस्व नक्शा की फोटोप्रतियों का अवलोकन करने से स्पष्ट जाहिर होता है कि उक्त मौका रिपोर्ट प्रार्थीगण/अपीलांट को चाहे गये रास्ते से वंचित करने के उद्देश्य से मनमाने ढंग से केवल मात्र कार्यालय में बैठकर ही तैयार की गयी है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 06/2015 में पारित आदेश दिनांक 17.06.2019 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि प्रार्थीगण के तथाकथित खसरा संख्या 357 से लगती हुयी पूर्व दिशा में खसरा संख्या 363 की भूमि है एवं खसरा संख्या 363 के पूर्वी दक्षिणी सीमा तक रिकार्डेड रास्ता जो राजस्व ट्रेस में तरमीम होने के

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

साथ–साथ जमाबन्दी में भी दर्ज है, वह उपलब्ध है। "राजस्व रिकार्ड अनुसार उक्त खसरा नम्बर में आने जाने हेतु रास्ता अंकित नहीं है। मौका व राजस्व रिकार्ड अनुसार एन.एच.–8 से खसरा संख्या 350/5 रकबा 00–06–00, खसरा संख्या 361/3 रकबा 00–02–00, खसरा संख्या 361/4 रकबा 00–02–00, खसरा संख्या 367/3 रकबा 00–06–00, खसरा संख्या 362/1 रकबा 00–07–00, खसरा संख्या 363/1 रकबा 00–03–00 समर्पित रास्ता अंकित है। जो कि खसरा संख्या 363 तक के अन्दर तक है" एवं खसरा संख्या 363 एवं खसरा संख्या 357 की सीमा लगती हुई है। यदि उपरोक्त कायम राजस्व रिकार्ड में दर्ज तरमीमशुदा खसरा संख्या 363 तक के रास्तें से खसरा संख्या 357 तक पंहुच के लिये रास्ता कायम किया जाता है तो कुल 74 गट्टा सीमा तक आता है तथा इसके विपरित प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर जो प्रस्तावित रास्ता चाहा गया है उसमें नेशनल हाईवे से जो खसरा अंकित है उसका राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर अंकित नहीं है तथा उसके पश्चात् खसरा संख्या 344/1 सरकारी खसरा नम्बर दर्ज है। जो खसरा संख्या 351/1, 352, 353, 354/2 के पश्चिम सीमा के सहारे–सहारे है। जिसमें खसरा संख्या 357 के पंहुच में खसरा संख्या 354/2 खातेदारी की भूमि आती है। जिसकी नेशनल हाईवे से कुल लम्बाई 208 गट्टा होती है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज उपरोक्त रास्ते के साथ–साथ वैकल्पिक निकटतम एवं छोटा रास्ता उपलब्ध है। जिसके रहते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही सरसरे आधारों पर ही निरस्तनीय है। अप्रार्थी सं० 2 व 3 ने दिनांक 30.12.2014 के पूर्व ही स्वयं की खातेदारी की भूमि पर सीमेन्ट के पिल्लर लगाकर, उसमें तारबन्दी लगाकर चारों तरफ बाउण्ड्री बना रखी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का उपरोक्त खसरा संख्या 354 में रास्ता होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थीगण का खसरा संख्या 354 में कोई रास्ता नहीं रहा है। खसरा संख्या 354 की कोई भी भुजा रास्ते से अनुसंलग्न नहीं है। खसरा संख्या 354 के उत्तर दिशा में निजी खातेदारी की भूमि है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी ने जो अनुतोष केवल खसरा संख्या 354 की भूमि के बाबत् ही चाहा है से अपने आप में धारा 251–क के आज्ञापक प्रावधान की पूर्ति नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं किए जाने से उक्त निर्णय को यथावत रखा जाना न्यायोचित है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

9. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर समस्त तथ्यों को अस्वीकार करते हुए खण्डन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन रहते हुए अप्रार्थी संख्या 5 को प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से प्रार्थीगण के समस्त कथनों को अस्वीकार किया गया है। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, किशनगढ से मौका रिपोर्ट तलब की गई

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

तहसीलदार द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 25.10.2018 को तैयार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के समक्ष प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायायल के समक्ष प्रकरण विचाराधीन रहने के दौरान प्रार्थीगण की ओर से दिनांक 12.6.2019 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का जवाब पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण मूल प्रार्थना पत्र के साथ ही किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को दिनांक 17.6.2019 को खारिज किया गया।

हमारे द्वारा मौका रिपोर्ट का अनुसरण करने पर यह पाया कि पटवारी हल्का व भू0अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 25.10.2018 को तैयार मौका रिपोर्ट बिना पक्षकारान को विधिवत रूप से नोटिस प्रदान किए उक्त मौका रिपोर्ट पक्षकारन की अनुपस्थिति में बनाई गई है व मौका रिपोर्ट में यह अंकन किया गया है कि वादी द्वारा दावा में अंकित रास्ता जो चाहा गया है। उसके एन.एच.8 से जो खसरा अंकित है उसके राजस्व मानचित्र में ख. न. अंकित नहीं है तथा उसके पश्चात् ख.न. 354/1 सरकारी ख. न. दर्ज है। जो ख.न. 351/1, 352, 353, 354/2 की पश्चिमी सीमा के सहारे–2 है जिसमें ख.न. 357 तक पहुंच में ख.न. 354/2 खातेदारी में से पहुंच होती है जिसकी एन.एच.8 से कुल ल. 208 गट्टा होती है। जिसकी नक्शा नकल संलग्न है।"

चूंकि उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 25.10.2018 को पटवारी हल्का व भू0अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार कर तहसीलदार किशनगढ को प्रेषित की गई व उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। जब कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विधिक सिद्धांतों के अनुसार मौका रिपोर्ट पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार की जानी चाहिए थी जो नहीं की गई है क्यों कि मौका रिपोर्ट दिनांक 25.10.2018 पर किसी भी अन्य मौतविरान व्यक्ति एवं किसी अन्य स्वतंत्र गवाहों के व उभयपक्षकारन के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त मौका रिपोर्ट को किसी भी आधार पर उचित नहीं माना जा सकता है। इसके संबंध में प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 12.6.2019 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत कर आपत्ति भी प्रस्तुत की गई थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को भी अपील के माध्यम से निरस्त करते हुए अविधिक रूप से निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट ही विधिक नहीं है तो उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर उनके द्वारा पारित निर्णय किसी भी स्थिति में विधि संगत नहीं है, जो कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्वतः ही प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय किसी भी आधार पर न्याय संगत नहीं कहा जा सकता व उक्त निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटि कारित की गई है।

न्यायिक दृष्टांत 2017 आर0बी0जे0 पेज 687:– RAJASTHAN TENANCY ACT 1955- *Section 251A Rajasthan Tenancy Act and (government) Rules 1955. Rule 69- Order regarding way passed without Comliance of mandatory provision of rule 69 is not maintainable.*

उक्त प्रकरण में नियम 69 की पालना नहीं की गई है, उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई है। उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

प्रकरण पर न्यायिक दृष्टांत 2017 आर0बी0जे0 पेज 687 पूर्णरूप से चस्पा होते है।

उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार व न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.06.2019 में त्रुटि कारित की गई है। अतः उनके द्वारा पारित निर्णय किसी भी प्रकार से विधिसम्मत नहीं है ना ही नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के अनुकुल है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 06/2015 में पारित आदेश दिनांक 17.06.2019 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि वे प्रकरण से संबंधित सभी पक्षकारान को जवाब एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर उभय पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ के समक्ष दिनांक 03.04.2025 को उपस्थित रहने के लिए पावंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

17.03.2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner